

राजस्थान



सरकार

सत्यमेव जयते

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, भरतपुर खण्ड, भरतपुर

पंजीयन प्रमाण-पत्र

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनिक प्रन्यास, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 (1959 का. 42) के अधीन सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर के कार्यालय में आज के दिन यथावत रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

सार्वजनिक प्रन्यास का नाम श्री राधे कृष्णा शुकेशानल ट्रस्ट कर्तान कालीनी, फरवंबर सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या 08 भरतपुर 2022. ईस्पैटल के सामने पुलिस लाइसेन्स प्रमाण पत्र "अद्यक्ष पदनाम" भरतपुर (राज.) को जारी किया गया।

मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 24 मई 2022 माह सन् 2022 को दिया गया।



गोलि मोहर

(Signature)

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
भरतपुर खण्ड, भरतपुर



प्रपत्र संख्या 0

(देखिये नियम 17(2))

P. P. P. P.

Tout

21/9/94

श्री कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलोनी
द्वारा जारी प्रपत्र संख्या



221312

श्रीमान सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग, भरतपुर
प्रदेश राजस्थान

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने,
पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0) लोक न्यास के सम्बन्ध में।
मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन निवासी पाली डूंगरा, ग्राम साँख देहात जिला
मथुरा उत्तर प्रदेश हाल स्थाई निवास कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने,
पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0) जो उपयुक्त सार्वजनिक प्रन्यास का कार्यवाहक
प्रन्यासी अध्यक्ष हूँ। एतद्वारा राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के
अन्तर्गत उक्त प्रन्यास के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता हूँ।

मैं निम्नलिखित आवश्यक विवरण प्रस्तुत करता हूँ :-

1. प्रन्यास की उत्पत्ति (जहां तक ज्ञात हो) उसका रूप तथा उसके उद्देश्य और नाम
जिससे उक्त प्रन्यास पुकारा जाता है अथवा पुकारा जायेगा, श्री राधे कृष्णा
एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाईन
के पास, भरतपुर (राज0) प्रन्यास की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विधान में दर्ज
किया जा रहा है।
2. उक्त लोक प्रन्यास का मुख्य कार्यालय अथवा व्यापार करने का मुख्य स्थान श्री
राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने,
पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)।
3. कार्यवाहक प्रन्यासी तथा प्रबन्धक के नाम तथा पते :-
 1. मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन निवासी पाली डूंगरा, ग्राम साँख
देहात जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल स्थाई निवास कप्तान कॉलोनी,
दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)
4. प्रन्यासी पद पर उत्तराधिकारी का तरीका - अध्यक्ष पद आजीवन तथा उसके
उपरान्त वंशानुगत परम्परा से चुनाव द्वारा।
5. चल सम्पत्ति के ब्यौरे जिसमें उक्त सम्पत्ति के प्रत्येक वर्ग का अनुमानित मूल्य
भी हुआ है :-
नोट :- ऐसी सम्पत्ति के वर्गों के स्थूल विवरण देकर प्रविष्टियां करनी चाहिये
जैसे- फर्नीचर, पुस्तकें इत्यादि न कि प्रत्येक वर्ग के लिये पृथक-पृथक रूप से नकद
सम्बन्धी प्रविष्टी केवल तब ही की जानी चाहिये जबकि उक्त नकद प्रन्यास के मूल्याधन

उत्तराधिकारी के अधिकार

सहायक आयुक्त

देवस्थान विभाग, भरतपुर



1/2/1

अंग हो, वरतावेजों की वशा में प्रत्येक प्रतिस्ति स्टाक () शेयर () तथा डिपेंचर () के उसके नम्बर सहित विवरण नीजिये

6. अचल सम्पत्ति का बीरा जिरामें यह गीय करवा जाई यह स्थित है, म्युनिसिपल सर्वे खसरा नम्बर क्षेत्रफल निर्धारित कर (नक्शा संलग्न है।) धारणाधिकार जिसके आधार पर धारित है, का वर्णन भी बताते हुये हो (अधिकार अभिलेख नगर सर्वे अभिलेख या म्युनिसिपल अभिलेख में सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रविष्टियों आदि प्राप्त हों, की प्रमाणित प्रतिलिपियों साथ लगाईये। पूर्वजों के काल का राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा संलग्न है।

(क). प्रत्येक अचल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य - कुछ नहीं।

(ख). समस्त सम्पत्ति का मूल्य वर्तमान में - कुछ नहीं।

7. आय के अन्य स्रोत :- सदस्यों से सदस्यता शुल्क ट्रस्ट की व्यवस्था का संचालन किया जायेगा।

8. औसत वार्षिक सकल आय - कुछ नहीं। वर्तमान में प्रन्यास के पास 1,00,000/- रुपये नगद फंड जमा है।

नोट :- यह उस तारीख से जिसको कि आवेदन पत्र दिया जाये पहली पूर्णमासी तीन वर्ष की अवधि अथवा उक्त प्रन्यास के सृजन के उपरान्त व्यतीत अवधि जो भी अवधि कम हो, के दौरान हुई वास्तविक असल आय पर तथा किसी मद सूजित लोक प्रन्यास की दशा में, सम्मिलित स्रोतों से प्राप्त अनुमानित वार्षिक सकल आय पर आधारित होनी चाहिये।

9. औसत वार्षिक व्यय जिसका अनुमान ऐसे व्यय पर जो उक्त अवधि के भीतर जिसका सम्बन्ध खण्ड 8 के अन्तर्गत दिये गये विवरणों से हैं किया गया हो तथा किसी नव सूजित लोक प्रन्यास की दशा में अनुमानित वार्षिक व्यय पर लगाया जाये।

(क). प्रन्यासी तथा प्रबन्धक के पारिश्रमिक पर - कुछ नहीं।

(ख). कर्मचारी वर्ग तथा सेवकों पर-पुजारी जो मन्दिर का चढावा व सामान भेंट दी जाती है। - कुछ नहीं।

(ग). धार्मिक उद्देश्यों पर - कुछ नहीं।

(घ). पुण्यार्थ उद्देश्यों पर - कुछ नहीं।

(ङ). विविध मदों पर - कुछ नहीं।

10. प्रमारों के विवरण यदि प्रन्यास की सम्पत्ति पर कोई प्रभार हो - कुछ नहीं।

11. प्रन्यास की सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वच्छ विलेखों है।

भारत सरकार
आय, वस्तु, वित्त विभाग
नया दिल्ली

Handwritten signature and date.

Handwritten signature.



//3//

तथा प्रन्यास शलेख () यदि ऐसा शलेख निष्पादित किया गया है तथा विद्यमान है, के विवरण तथा उक्त प्रन्यासी का नाम जिसके कब्जे में ये हैं, मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन निवासी पाली खूंगरा, ग्राम सौंख देहात जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल स्थाई निवास कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाइन के पास, भरतपुर (राज०)

12. प्रबन्धक या कार्यवाहक प्रन्यासी का पता जहां पत्रादि भेजे जायेंगे -
मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन निवासी पाली खूंगरा, ग्राम सौंख देहात जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल स्थाई निवास कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाइन के पास, भरतपुर (राज०)
13. अभ्युक्तियां यदि कोई हो - कोई नहीं।
शुल्क साथ प्रस्तुत किया जाता है।

स्थान :- श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाइन के पास, भरतपुर (राज०)

दिनांक :- 21.09.2021

Ravi
संस्थापक हस्ताक्षर

SR
सत्यापन

मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन निवासी पाली खूंगरा, ग्राम सौंख देहात जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल स्थाई निवास कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाइन के पास, भरतपुर (राज०) प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रपत्र 6 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 13 में जो तथ्य वर्णित किये हैं वह मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य दर्ज किये हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं है।

SR
संस्थापक हस्ताक्षर

1. ... 1996
 2. ... 8.6.2022
 3. ... 10.6.22
 4. ... 14.6.22
 वादा... फीस 6/-
 ...





श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाईन के

पास, भरतपुर (राज०)

कार्यकारिणी की सूची

Ex-2
22/3/22

क्रम सं०	नाम	पद
1.	रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन	अध्यक्ष
2.	कु. भारती पुत्री श्री लखन सिंह	सचिव
3.	श्रीमती विमलेश पत्नि श्री कालीचरन	कोषाध्यक्ष
4.	प्रहलाद कुमार पुत्र श्री-प्रेम सिंह	सदस्य
5.	प्रहलाद सिंह पुत्र श्री बाबूलाल	सदस्य
6.	नितेश कुमार पुत्र श्री देवी सिंह	सदस्य

इसका निवेदन श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

के अध्यक्ष का पद
रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन

Ravi
अध्यक्ष

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाईन के

पास, भरतपुर (राज०)

1/10





की शैक्षणिक विद्यालयों की स्थापना करना, प्राणी मात्र की सेवा करना, चिकित्सा सुविधा, पर्यावरण संरक्षण व अन्य सेवाएँ ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार करने के लिए किया गया है।

4. प्रन्यास के उद्देश्य :-

1. शैक्षणिक उद्देश्य :-

1. सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ एस.टी.सी., बी.एड. वाणिज्य प्रशासन में बी.बी.ए. व एम.सी.ए. को सेंज के लिये विद्यालय/महाविद्यालय चालू करना व संचालन की सभी व्यवस्थाएँ।
2. इंजीनियरिंग कॉलेज व तकनीकी महाविद्यालयों की स्थापना व संचालन करना व इलेक्ट्रॉनिक व विभिन्न टेक्नोलॉजी के शिक्षण-प्रशिक्षण के कोर्सेज के लिए संस्थान स्थापना व संचालन।
3. सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों के लिये नर्सिंग शिक्षण-प्रशिक्षण विद्यालय व कॉलेज खोलना/संचालन करना व फिजियोथेरेपी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था बनाना/संचालन करना।
4. मेधावी छात्रों के लिए आर्थिक सहायता व शोध कार्यों के लिये अध्ययन सामग्री उपलब्ध करना व विदेशों से भी आवश्यक साहित्य व उपकरण आयात करना।
5. सभी वर्गों के लिए कानूनी सहायता दिलाना, मानवाधिकार से सम्बन्धित मामलों के ज्ञान के कार्यक्रम चलाना व मदद करना/कराना।

४



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कल्याण कॉलेजी, विमानर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस जार्डन के पास, गुरदासपुर (पंजाब)

3/23

शिक्षित बेरोजगार व ग्रामीण युवकों के लिये अन्य संगठनों की सहायता व सहभागिता से कार्यक्रम सम्मेलनों व कार्यशालाओं का निर्माण व संचालन करना।

7. विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाव के लिये समाज में जागरूकता पैदा करने के प्रयास करना व चिकित्सा निर्देशिकाओं का प्रकाशन व प्रसारण करना।
8. संस्था परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार एवं नगर-निकाय द्वारा संचालित समस्त परियोजनाओं को लागू करने का प्रयास करेगी।
2. न्यास (ट्रस्ट) के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय, उ.प्रा.विद्यालय माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर मा. विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, ज्योतिषीय संस्थान (कॉलेज), इंजीनियरिंग एवं मेडिकल महाविद्यालय, नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय, आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी एक्यूपंचर इलेक्ट्रा पद्धति के महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की स्थापना एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, अनुसंधान कार्य करना उन्हें हर प्रकार की मदद देना, रूग्ण विद्यालयों, महाविद्यालयों का अधिग्रहण करना तथा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक तथा तकनीकी एवं गैर-तकनीकी स्टाफ को नौकरी पर रखना तथा उनका हटना।

1. इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य उपेक्षित मानवता की सेवा करना एवं कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार के साधन आदि मुहैया कराने के लिये प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना है।

उपरोक्त कार्य प्रविधि
प्रधान संस्था
गुरदासपुर

४



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कल्याण कॉलोनी, विमानपुर पोस्टोफिस के सामने, मुंडिआ मार्ग के पास, भरतपुर (राज्य)

4/23

2. संस्था परिवार कल्याण परियोजनाओं को लागू करने के लिये (अ) प्रसवोत्तर केन्द्र (ब) नसबंदी कार्यक्रम (स) दूरबीन लेप्रोस्कोपी विधि, नसबंदी प्रशिक्षण और लेप्रोस्कोपी की आपूर्ति कार्यक्रम (द) गर्भ निरोधक साधनों को वितरण आदि कार्य करेगी।
3. संस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित समस्त परियोजनाओं को लागू करने का प्रयास करेगी।
4. संस्था आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिये रसायन शाला व दवाओं के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करेगी।
5. संस्था मौसमी बीमारियों से बचाव के साधनों की जानकारी, रक्त जनित रोगों से बचाव के साधनों की जानकारी, क्षय, एड्स, मलेरिया, हैजा, थाईराईड, कैंसर, कोविड-19 जैसे रोगों से बचाव की जानकारी व आदतन नशा करने

हस्ताक्षर कीये प्रसिद्धि

अज्ञान से बचें

विद्यार्थी विभाग, भरतपुर

४२



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कक्षाएं कॉलोनी, विगमर कॉलेज रोड के सामने, पुलिस स्टेशन के पास, परमपुर (राज)

5/23

वाले लोगों को नशे से मुक्ति के लिये नशा निवारण हॉस्पिटल, परामर्श केन्द्र एवं उत्तरावृत्ति देखभाल केन्द्र की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

6. संस्था पंचायत मुख्यालयों पर रोगों के निदान के लिये आंखों के ऑपरेशन एवं दन्ध्याकरण केन्द्र व रोग निदान के लिये आवश्यक परीक्षण यथा एक्सरे, खून, पेशाब, मल आदि की जांच के कार्य निशुल्क करेगी।
7. संस्था वृद्ध अपाहिज एवं साधनहीन लोगों को निशुल्क चिकित्सा एवं चिकित्सकीय जांच व निशुल्क दवाईयों के वितरण की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी संस्था प्रसवोत्तर सेवाओं को सुलभ कराने व जच्चा-बच्चा देखभाल के कार्यों को भी अपने हाथ में लेगी।
8. संस्था शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर की शिक्षा दिलाने के लिये

सहायक कोषी अधिकारी

सहायक कोषी

विद्ययाय विद्यालय, परमपुर

२२



शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उनका संचालन करेगी।

9. संस्था प्रौढ महिलाओं/पुरुषों को शिक्षित कराने के लिये प्रौढ पाठशालाओं की व्यवस्था करेगी।
10. संस्था पुस्तकालयों/वाचनलयों की स्थापना कर उनका संचालन सम्बर्द्धन करेगी।
11. संस्था आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्रतिभाशाली, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहान कर पुरस्कार देने तथा ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय यूनिफॉर्मस, पुस्तक, फीस तथा छात्रों के आवास के लिये छात्रावस आदि की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।
12. संस्था शिक्षित छात्रों को टाईपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर, प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी तथा परीक्षाएं आयोजित कर उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र जारी करेगी।

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट
कल्याण कॉलोनी, विन्धनर रोड, कोरापु, पुलिस स्टेशन रोड, गान्ध. गल्लपुर (म.प्र.)



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कृष्णा जिले की सी. पी. ए. रोड, गुरदासपुर (राज.)

7/23

13. संस्था राजकीय योजनांतर्गत जिला उद्योग केन्द्र के सहयोग से राजकीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न रोजगार प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करेगी।
14. संस्था एस.टी.सी., बी.एड, एम.एड, (कला वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में) डी. फार्मा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का प्रयास करेगी।
15. संस्था मैडीकल एवं पैरामैडीकल से संबंधित रोजगाररोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे मैडीकल रिप्रजेटेंटिव, टैक्नीशियन मैनेजमेन्ट, जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सोनोग्राफी टैक्नीशियन, एक्सरे टैक्नीशियन, लेबोरेटरी टैक्नीशियन, ई. सी.जी टैक्नीशियन, फर्स्ट एण्ड उपचार, सैनेटरी एण्ड हैल्थ, इंस्पेक्टर, डेन्टल टैक्नीशियन, ऑपरेशन थियेटर सहायक, नर्स, दाई, फिजियोथिरेपी टैक्नीशियन आदि को संचालित करने के लिये प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

10-11-23 को जारी कृषि विभाग

कृषि विभाग

कृष्णा जिला, गुरदासपुर



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

प्रधान कार्यालय, विद्यार्थी भवन, सामने, पुलिस स्टेशन, गान्धी नगर, अहमदाबाद (राज्य)

8/23

करेगी तथा संस्था स्वरोजगार हेतु स्वयं द्वारा विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर प्रशिक्षार्थियों को अपने स्तर पर परीक्षाएँ आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करेगी एवं अन्य संस्थानों को समबद्धता प्रदान करेगी।

16. संस्था लुप्त हो रहे लोक संगीत एवं लोकवाद्य यंत्रों के संरक्षण व लोक कलाओं के संरक्षण की व्यवस्था करेगी व इस हेतु संस्था संगीत विद्यालयों की व्यवस्था करेगी।
17. संस्था स्वरोजगार लगाने के इच्छुक लोगों को उद्योग केन्द्रों, उद्योग विभाग, खादी बोर्ड व खादी आयोग तथा ऐसे ही अन्य राजकीय संस्थानों/प्रतिष्ठानों से सहायता सुविधा व तकनीकी जानकारी उपलब्ध कर बेरोजगार लोगों को रोजगार लगाने में मदद करेगी।
18. संस्था नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, जर्नलिज्म एण्ड इनफॉर्मेशन स्कूल मैनेजमेन्ट, मार्केटिंग एण्ड सेल्स

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

प्रधान कार्यालय

विद्यार्थी भवन, सामने, पुलिस स्टेशन, गान्धी नगर, अहमदाबाद (राज्य)



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कृष्णा कॉलोनी, विजयपुर पोस्टोफिस के सामने, पुलिस स्टेशन के आगे, भद्रापुर (राज्य)

0/23

मैनेजमेन्ट लाईब्रेरी राइटरा एण्ड इनफार्मेशन, आर.एम.पी. चिकित्सक आदि रोजगारमुखी प्रशिक्षण संस्था स्वयं द्वारा विकसित कर कोर्स संचालित करेगी। प्रशिक्षार्थियों को अपने स्तर पर परीक्षाएँ आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करेगी एवं अन्य संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करेगी।

19. संस्था राज्य एवं केन्द्र सरकार के वित्तीय संसाधनों से सरल प्रक्रिया व कम ब्याज पर शासन द्वारा घोषित सुविधाएँ सहित, ऋण एवं भूमि, स्वरोजगार लगाने के इच्छुक लोगों को उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी।
20. संस्था पिछड़ी जाति विकास परिषद, चर्म उद्योग विकास निगम लि., राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड एवं कपार्ट आदि संस्थानों से सहायता एवं सहयोग लेकर उनकी योजनाओं को लागू करने का प्रयास करेगी।

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट
कृष्णा कॉलोनी, विजयपुर पोस्टोफिस के सामने, पुलिस स्टेशन के आगे, भद्रापुर (राज्य)



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

एजुकेशनल कॉलेजी, विंगमर पोस्टोफिस के सामने, पुलिस स्टेशन के पास, मउरपुर (राज.)

0/23

मैनेजमेन्ट लाईब्रेरी साइन्स एण्ड इनफार्मेशन, आर.एम.पी. चिकित्सक आदि रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण संस्था स्वयं द्वारा विकसित कर कोर्स संचालित करेगी। प्रशिक्षार्थियों को अपने स्तर पर परीक्षाएँ आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करेगी एवं अन्य संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करेगी।

19. संस्था राज्य एवं केन्द्र सरकार के वित्तीय संसाधनों से सरल प्रक्रिया व कम ब्याज पर शासन द्वारा घोषित सुविधाएँ सहित, ऋण एवं भूमि, स्वरोजगार लगाने के इच्छुक लोगों को उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी।
20. संस्था पिछड़ी जाति विकास परिषद, चर्म उद्योग विकास निगम लि., राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड एवं कपार्ट आदि संस्थानों से सहायता एवं सहयोग लेकर उनकी योजनाओं को लागू करने का प्रयास करेगी।

इवाकिल की इतिहास

राजस्थान का

राजस्थान विभाग, मउरपुर



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कल्याण कॉलोनी, विमानपुर पोलीटल के सामने, पुलिस स्टेशन के पास, गडवपुर (राज.)

10/23:

21. संस्था सामाजिक उत्थान के लिये समाज के निराश्रित बालकों, विधवाओं, कुपोषण के शिकार बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन के लिये निराश्रित बाल गृह, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, पोषाहार, बालाहार, आंगनवाडी एवं बालावाडी, शिशु पालना गृह आदि स्थापित करने का प्रयास करेगी।
22. संस्था साधनहीन वृद्धों, विकलांगों कोठियों के लिये भोजन वस्त्र आवास प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन के लिये पुनर्वास, गृहों की व्यवस्था करेगी।
23. संस्था बंजर भूमि विकास, पर्यावरण सुधार एवं वृक्षावली प्लान्टेशन आदि के लिये वातावरण निर्माण एवं वृक्षारोपण से भूमि को उर्वरा शक्ति बनाये रखने के उपायों आदि के लिये राजस्व विभाग वन एवं पर्यावरण सुधार विभाग आदि की योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करेगी।

संस्था के लिये प्रमाणित

संस्था के अध्यक्ष
विमानपुर विभाग, गडवपुर

४२



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कक्षाएं कॉलेजी, विन्धनर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस स्टेशन के पास, भरतपुर (मज्जा)

11/23

24. संस्था देश के भायी कर्णधारों (बच्चों/युवाओं) के सुगठित स्वास्थ्य निर्माण के लिये आदर्श खेल क्लबों की स्थापना करना खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, श्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन पुरस्कार देना एवं अन्य सुविधाएं देने का कार्य करेगी।
25. संस्था नवोदित साहित्यकारों को साहित्य, मंच प्रदान करने के लिये साहित्यकार सम्मेलनों, कवि सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों का आयोजन करेगी इस हेतु रचनाकारों की रचनाओं के प्रकाशन प्रसारण की व्यवस्था कर साहित्यकारों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देने का कार्य करेगी।
26. संस्था राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचार व प्रसार की व्यवस्था कर हिन्दी के विकास के लिये समर्पित व कार्यरत संस्थाओं, संगठनों, अकादमियों से सहयोग लेकर इस क्षेत्र में कार्य करेगी।

प्रमाणित कीले प्रतिलिपि

आचार्य बाबू
श्रीराधे कृष्णा, भरहपुर

२



27. संस्था राष्ट्रीय महापुरुषों, जन नेताओं की प्रतिमा स्थापित कर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का कार्य करेगी।
28. संस्था राष्ट्रीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत संचालित योजना, परियोजनाओं को लागू करने का प्रयास करेगी।
29. संस्था महिलाओं, हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, डेयरी उत्पादन, महिला जागरूकता शिविर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, परिवार परामर्श केन्द्र, महिला मण्डल कार्यक्रम, वल विकास शिविर, कामकाजी महिलाओं के लिये आवासीय छात्रावसा, आयाओं के प्रशिक्षण केन्द्र, आयोजिका प्रशिक्षण केन्द्र आदि के संचालन के भी प्रयास करेगी।
30. संस्था पशु पालन द्वारा रोजगार पैदा करने के लिये उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन से रोजगार के साधन पैदा करने का प्रयास करेगी इस हेतु सूअर पालन, गाय, बकरी, भेड पालन,

प्रशासनिक एग्रीमेंट प्रतिक्रिया

कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट
विमथर हॉस्पिटल, अजमेर



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कल्याण कॉलोनी, विगम्बर हॉस्पिटल को सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज.)

13/23

भैंस पालन, गधुगवथी पालन, गुर्गी पालन, मतस्य पालन आदि कार्यक्रमों के प्रशिक्षण एवं वित्त पोषण करने का प्रयास करेगी।

31. संस्था बेरोजगारों को मुद्रण एवं ऑफसेट मुद्रण तकनीकी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

32. संस्था आधुनिक विज्ञापन साधनों में डिजाईनिंग कार्यों के प्रशिक्षण व स्क्रीन प्रिंटिंग आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

33. संस्था समाज में व्याप्त कुरीतियों, व्यसनों, यथा मद्यपान, जुआ व सट्टा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज, छूआछूत आदि का अन्मूलन एवं बहिष्कार कराने के लिये विचार गोष्ठियों व जन सभाओं का आयोजन कर जन-जाग्रति पैदा करने का प्रयास करेगी।

34. संस्था विधवा विवाह सामूहिक विवाह अन्तर्जतीय विवाहों को प्रोत्सहन देने के लिये इनका आयोजन कर समाज में व्याप्त अंध

संस्था के लिये प्रशिक्षण

एडवोकेट बाबुल

संस्था के लिये प्रशिक्षण



विश्वासों व रुढ़ियों को तोड़ने का प्रयास करेगी।

35. संस्था महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों, अनुसूचित जातियों/जन जातियों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध जनमत जाग्रति लाने का प्रयास करेगी, अत्याचार पीडित इन वर्गों को राहत देने के लिये विधिकीय सहायता चिकित्सकीय सहायता व आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेगी।

36. संस्था जनता की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाने के लिये जगह-जगह शिकायत कक्षों की स्थापना कर उनसे प्राप्त शिकायतों को शासन एवं प्रशासन के सहयोग से निराकरण कराने का प्रयास करेगी।

37. संस्था ग्रामीण बेरोजगारी को रोजगार के समाचारों को संकलित कर ऐसे उम्मीदवारों को घर बैठे सूचनाएँ उपलब्ध कराने का कार्य निशुल्क रूप से करेगी।

प्रशासक/सहायक प्रशासक

उपस्थित/अनुपस्थित

निदेशक/सहायक निदेशक

२



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट
कप्तान कॉलोनी, विमानर पोलीटल के सामने, पुलिस स्टेशन के पास, भरतपुर (राज्य)

10/23

के लिये राज्य भर में अन्य संस्थानों को स्वयं द्वारा विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने की सम्बद्धता प्रदान करेगी।

40. संस्था उपरोक्त प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत भविष्य में समयानुसार, संस्था स्वयं द्वारा विकसित अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निर्वहन करते हुये प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षाएँ आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करेगी एवं राज्य में अन्य संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करेगी।

41. संस्था गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को लाभान्वित करने के लिये राजकीय योजनाओं व आई.आर.डी में चयनित लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करेगी।

42. संस्था गरीब, असहाय, मरीजों के लिये, ब्लड बैंक, सीमन बैंक, आई बैंक, हॉस्पिटल,

असाहिब जी को इतिहास
कृतक बाहुक
दिव्यदास विद्या, भरतपुर

10



- आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, फिजियोथैरेपी एण्ड प्राकृतिक चिकित्सा जैसे चिकित्सालयों को खोलने का प्रयास करेगी।
43. संस्था चिकित्सा के क्षेत्र में पैरामैडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथैरेपी कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, यूनानी कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा एवं कृषि विद्यालय महाविद्यालय खोलकर प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी।
44. संस्था नये व पुराने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, गीरजघर आदि के संचालन सम्बर्धन का कार्य करेगी।
45. संस्था असहाय जीव-जन्तु, पशु-पक्षियों के खाने एवं रख-रखाव व उनकी चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सालय एवं पशु विद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने का प्रयास करेगी।
46. संस्था अपने उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अलग-अलग कार्यों के अनुसार विधिवत कार्य

सहायक सचिव, अजमेर

अजमेर प्राकृतिक

विद्यालय



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

प्रधान कार्यालय, विद्युत् नगर कॉलोनी, पुलिस स्टेशन के पास, गुरुदासपुर (राज्य)

18/23

सम्पदन हेतु समितियाँ व कमेटियों का अलग से गठन कर सकेगी।

47. संस्था उपरोक्त उद्देश्यों के अलावा भी अपने अन्य उद्देश्य निर्धारित कर कार्यकर सकेगी।

नोट :- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभनिहित नहीं होगा।

5. प्रत्यास की प्रकृति :-

उक्त प्रत्यास की प्रकृति पारिवारिक प्रत्यास की होगी।

6. प्रत्यास की वर्तमान में

मौजूदा चल व अचल सम्पत्ति :-

(1). वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति उत्पन्न होने पर व रिकॉर्ड पर लायी जावेगी।

(2). भविष्य में प्रत्यास की सम्पत्ति उत्पन्न होने पर उसका प्रबन्धन प्रत्यास द्वारा किया जावेगा तथा उक्त कार्य के लिए प्रत्यास की कार्यकारिणी ही उत्तरदायी होगी। प्रत्यास की समस्त सम्पत्ति की सुरक्षा, देखरेख व व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य कार्यकारिणी का होगा।

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

अध्यक्ष

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

7. प्रत्यास के ट्रस्टी :-

प्रत्यास में वर्तमान में पांच प्रत्यासी है तथा



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

प्लान कॉलोनी, विगमबर पोस्टोफिस को सामने, पुलिस स्टेशन को पास, गुरुदासपुर (राज्य)

10/23

उक्त प्रन्यास में वंशानुगत प्रन्यासी सदस्य बनते रहेंगे तथा वर्तमान में जो प्रन्यासी है वह आजीवन प्रन्यास के प्रन्यासी रहेंगे।

8. प्रन्यास की सदस्यता :-

प्रन्यास में वर्तमान में पांच सदस्य है तथा भविष्य में वंशानुगत व्यक्ति ही प्रन्यास का सदस्य बन सकेगा तथा उसे निम्न शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा :-

- (1). बालिग हो।
- (2). पागल व दिवालियां न हो।
- (3). प्रन्यास के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हो।
- (4). प्रन्यास के हितों को सर्वोपरी समझते हो।

9. सदस्यता से निष्कासन :-

प्रन्यास के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- (1). मृत्यु होने पर।
- (2). त्याग पत्र देने पर।
- (3). प्रन्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।

11. प्रन्यास की कार्यकारिणी का गठन :- प्रन्यास के कार्य को सुचारू रूप से

चलाने के लिए वर्तमान में पांच प्रन्यासी है यदि भविष्य में अन्य कोई व्यक्ति प्रन्यास का सदस्य बनता है तो आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे :-

श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट
गुरुदासपुर (राज्य)

२



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट
कप्तान कॉलोनी, विन्म्वर हॉस्पिटल के सामने, प्रतिभा मार्ग के पार, भरतपुर (राज.)

20 / 23

- (1). अध्यक्ष-एक
- (2). सचिव-एक
- (3). कोषाध्यक्ष-एक
- (4). सदस्य-दो

इस प्रकार कार्यकारिणी में पांच पदाधिकारी होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

- (1). प्रन्यास के संस्थापक व वर्तमान अध्यक्ष
आजीवन प्रन्यास के अध्यक्ष के रूप में
बने रहेंगे तथा उनके जीवन काल में
अध्यक्ष के पद का कोई चुनाव नहीं
होगा तथा अन्य कार्यकारिणी के लिए
संस्थापक व वर्तमान अध्यक्ष आवश्यक
नियुक्ति करेंगे।

13. अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य :- 1.(1). साधारण सभा की अध्यक्षता करना।

1.(2). मत बराबर आने पर निर्णायक मत
देना।

1.(3). बैठके आहूत करना।

1.(4). संविदा तथा अन्य दस्तवेजों पर हस्ताक्षर
करना।

1.(5). ट्रस्ट की आवश्यकता के अनुसार

10,00,000/-रूपये तक एक मुश्त खर्च

करने का अधिकार प्राप्त होगा इससे

20



श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट

कल्याण कॉलोनी, दिगम्बर एर्रीसीडल के सामने, पुलिस स्टेशन के पास, भरतपुर (राज.)

22/29

रखना, मिल याउचरा को संभाल कर रखना।

2. वित्तीय वर्ष में एक बार कार्यकारिणी के समक्ष प्रन्यास का हिसाब पेश करना तथा वर्ष के अंत में आवश्यकता होने पर अधिकृत सी.ए से ऑडिट कराना; ऑडिट में कोई आक्षेप लगाये गये हो तो उन्हें पूरा कर कार्यकारिणी को अवगत कराना।

16. प्रन्यास का कोश :-

प्रन्यास का कोश निम्न प्रकार संचित होगा :-

1. चन्दा/शुल्क/अनुदान/सहायता/राजकीय अनुदान

उक्त प्रकार से प्राप्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जावेगी तथा वर्तमान में एकल प्रन्यासी के हस्ताक्षर से बैंक खाता संचालित किया जावेगा तथा भविष्य में कार्यकारिणी की नियुक्ति होने पर अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से उपरोक्त बैंक से लेनदेन संभव होगा। कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव के हस्ताक्षर से लेनदेन किया जा सकेगा। उक्त हस्ताक्षरों में संस्थापक अध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

प्रन्यास को संभालना
उपरोक्त संयुक्त
हस्ताक्षर विचार्य. संयुक्त

४०



श्री राधे कृष्णा एंजुक्शनल ट्रस्ट

उत्थान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)

23 / 23.

के विधान में परिवर्तन :- प्रन्यास के विधान में आवश्यकतानुसार बहुमत

के आधार पर परिवर्तन अथवा परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा परन्तु उसमें संस्थापक अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी।

19. प्रन्यास का विघटन :-

यदि प्रन्यास का विघटन आवश्यक हुआ तो आनुवांशिक प्रन्यासियों के द्वारा राज्य सरकार व देवस्थान विभाग से स्वीकृति लेकर ही उपरोक्त प्रन्यास का विघटन किया जा सकता है।

आज दिनांक 16-09-21 को श्री राधे कृष्णा एंजुक्शनल ट्रस्ट कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0) के उत्थान व विकास के लिए उपरोक्त विधान को आत्मसात करता है।

Rawr
अध्यक्ष

Bharadwaj
सचिव

विगम्बरा
कोषाध्यक्ष

23

उत्थान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर (राज0)
Rawr
अध्यक्ष



प्रपत्र संख्या 6 बावत् पंजीयन

श्रीमान सहायक आयुक्त महोदय,
देवरथाना विभाग खण्ड भरतपुर (राज0)

यनाम श्री राधाकृष्ण एजुकेशनल ट्रस्ट,
कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल
के सामने, पुलिस लाईन के पास,
भरतपुर

प्रार्थना पत्र धारा 17 (2) राजस्थान
प्रन्यास अधिनियम

शपथ पत्र

मैं रवि कुन्तल पुत्र श्री कालीचरन आयु 24 साल निवासी पाली डूंगरा, ग्राम साँख देहात,
जिला मथुरा (उ.प्र.) हाल स्थाई निवासी कप्तान कॉलोनी, दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने,
पुलिस लाईन के पास, भरतपुर का हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि श्री राधाकृष्ण एजुकेशनल ट्रस्ट, कप्तान कॉलोनी,
दिगम्बर हॉस्पिटल के सामने, पुलिस लाईन के पास, भरतपुर का मैं अध्यक्ष हूँ तथा
मेरे द्वारा संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संस्था के पंजीयन हेतु अपने
हस्ताक्षरित प्रपत्र संख्या 6 मय दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि संस्था के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ ट्रस्ट
का विधान, कार्यकारणी की सूची, मीटिंग रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये
है।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार की
शिक्षण संस्थाएँ चालू करना तथा उनके संचालन की सभी व्यवस्थाएँ करना, मानवता
की सेवा करना, परिवार कल्याण योजना को लागू करवाना, आयुर्वेदिक दवाओं के
निर्माण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करना, वृद्ध, अपाहिज व साधनहीन लोगों
के लिए चिकित्सा व दवाईओं की व्यवस्था करना इत्यादि करना। जिनका सम्पूर्ण
विवरण विधान की धारा 4 में दिया गया है।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के समर्थन
में जो दस्तावेज पेश किये गये है तथा उक्त प्रन्यास के पंजीयन बावत् को सध्या
ज्योति दर्पण समाचार पत्र में दिनांक 25.10.2021 को नोटिस प्रकाशित कराया है
जिसे पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है। परन्तु निर्धारित समय अवधि में संस्था के
पंजीयन बावत् कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी।
5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि विधान की पूर्ति व प्रन्यास के व्यवस्थित रूप से
संचालन हेतु प्रन्यास का पंजीयन किया जाना आवश्यक है।

P-137
R-Dev

सत्यापन

मैं शपथ कर्ता अपने शपथ पत्र की मद संख्या 1 लगायत 5 को अपनी निजी
जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही एवं सत्य होना सत्यापित करता हूँ।
भरतपुर दिनांक :- 19-1-22



बयान गवाह

जिला कार्यालय सहायक आयुक्त देवरथान विभाग, भरतपुर 'खण्ड भरतपुर'

जो मुकदमे में श्री राधेकृष्ण राजे प्रताप राजे कोलनी, प्रिया-देवी श्रीरत्न के संतान नम्बर 61/3/2021/13, सन्: 2021.....

तारीख 22.3.2022 को लिखा गया है।

मैं, हल्क से (सौगन्ध से) से कहता हूँ कि मेरा नाम श्री राधेकृष्ण राजे पिता का नाम श्री कालीचरण कोमल उम्र 24 पेशा निजी सेवा निवासी कल्याण कोलनी धारपुर तहसील भरतपुर जिले धारपुर का रहने वाला हूँ।

शपथ डिपॉजिट

मैंने अपनी शपथ में अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर A to B मेरे दस्तावेज हैं। मेरे द्वारा श्री राधेकृष्ण राजे के संतान राधेकृष्ण राजे के प्रस्ताव 6 प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्ताव 1 है जिस पर A to B मेरे दस्तावेज हैं। तत्पश्चात् मैंने प्रस्ताव के पांच कोड अन्तर्गत सम्मान नहीं है परन्तु 1 लाख रुपये का नगद फंड है जो प्रस्ताव के फंजीपन अर्थात् प्रस्ताव के खाते में जमा करा दिया जायेगा। प्रस्ताव के कर्मचारी को सूची प्रस्ताव 2 है जिस पर A to B मेरे दस्तावेज हैं। प्रस्ताव के संचालन हेतु प्रस्ताव का विधान प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्ताव 3 है। प्रस्ताव के उद्देश्य विधान के द्वारा 4 में दर्ज किया गया है। विधान पर A to B मेरे दस्तावेज हैं। प्रस्ताव के फंजीपन हेतु प्रस्ताव की मीटिंग दिनांक 22.8.2021 तथा 30.8.2021 को की गई जिस की कार्य प्रीत पत्रावली पर पेशा है जो प्रस्ताव 4 A व 5 A है जिस का डाकूल रोजनरु आर्य में साध लामा है जो प्रस्ताव 4 व 5 है। प्रस्ताव के फंजीपन के नोटिस दिनांक समाचार पत्र साधन आदि में दिनांक 25.10.2021 को प्रकाशित किया गया जो प्रस्ताव 6 है। नोटिस में ही गिरीश्वर के द्वारा प्रस्ताव के फंजीपन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई। प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा राज सभा में कोई विवाद पैदा नहीं है। इसलिये ही गिरीश्वर में आज प्राप्त कर शर्तों प्रस्ताव का संचालन हमारे द्वारा विधान के अनुसार किया जायेगा।

Handwritten signature

Handwritten signature

Official stamp and text at the bottom left corner.

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

ABZAS5210R



नाम / Name
SHRI RADHEY KRISHNA EDUCATIONAL
TRUST

05032023

निगमन / गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation
24/05/2022

Declaration for Authorized Signatory

M/S SHREE RADHE KRISHNA EDUCATIONAL TRUST
KAPTAN COLONY, INFRONT DIGAMBER HOSPITAL ,NEAR RESERVE POLICE LINE , BHARATPUR –
321001

To whom it may Concern

This is to inform that S.R.K. Lab and diagnostic centre , address - Kaptan colony, Near Reserve police line, Bharatpu is Running Under shree radhe krishna educational trust, Bharatpur



Signature of Authorized Signatory
(PRESIDENT)
Designation / Status
Bharatpur



Authorized Signatory
SRK Lab & Diagnostic Centre
Run By
S.R.K. Educational Trust
Bharatpur